छत्तीसगढ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

–:: आदेश ::–

नया रायपुर , दिनांक : 28 / 08 / 2017

क्रमांक : एफ 5–33 / 2017 / 18 ::– राज्य शासन, एतद् द्वारा स्वसहायता समूहों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन तथा अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रारंभ की गई, मिशन क्लीन सिटी योजना को संज्ञान में लेते हुए, **मात्र स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शाखा के लिए, नगर पालिक निगम रायगढ़ में,** प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की अधिकतम संख्या निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार पुनर्निर्धारित करता है :–

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग	प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की कुल अधिकतम संख्या	कटौती उपरांत प्लेसमेंट में स्वीकृत अधिकतम सफाई कामगारों की संख्या
1	रायगढ़	श्रमिक (सफाई)	204	194
		श्रमिक (वाहन)	96	0
	योग		**300**	**194**

शर्ते :–

1 उपरोक्त तालिका अनुसार स्वच्छता श्रमिक मात्र प्लेसमेंट पर, विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेगे। इसके एवज में, नियमित / संविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।

2 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय–समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिक नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी / वृद्धि की जा सकेगी।

3 समस्त नगर पालिका परिषदों में राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी पृथक–पृथक आदेश में स्वच्छता शाखा को छोड़कर, अन्य शाखाओं हेतु जारी अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।

5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान / प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

8 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।

9 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट–इन–काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय–समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

10 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से, निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अतिरिक्त व्यय की कटौती उनके वेतन से करते हुए, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11 प्लेसमेंट पदों की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए, यदि कार्यरत कर्मचारियों में कटौती की जाना है तो प्लेसमेंट पर कार्यरत कर्मियों को कार्य से पृथक किया जावेगा। नियमित कर्मचारी को कार्य से पृथक किये जाने का निषेध रहेगा। यदि अन्यथा कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो तत्काल संचालक न.प्र. एवं वि.वि. को प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा।

12 निकाय में स्वसहायता समूहों के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन इत्यादि कार्य कराने हेतु अधिकतम मानव बल की सीमा निर्धारित कर पृथक से आदेश जारी किया गया है।

13 निकाय में मिशन क्लीन सिटी से संबंधित कार्यों हेतु स्वसहायता समूहों के सदस्यों को चरणबद्ध ढंग से कार्य पर रखा जावेगा एवं उसी के समानुपातिक संख्या में प्लेसमेंट में चरणबद्ध कटौती कर, 03 माह में उपरोक्त निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही रखे जाने की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

14 निकाय द्वारा वार्डवार सफाई में यदि कोई एजेंसी अनुबंधित की गई है तो, उनमें सफाई कामगारों की संख्या भी अर्थात् प्लेसमेंट एवं सफाई ठेके में कार्यरत कुल सफाई कामगारों की संख्या, इसी आदेश की अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगी।

आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

28/8

(एच.आर. दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Order 2017

पृ.क्रमांक : एफ 5–33 / 2017 / 18 नया रायपुर दिनांक : 28 / 08 / 2017

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग. नया रायपुर।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ.ग.।
5. कलेक्टर, जिला– रायगढ़।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को पालनार्थ।
8. आंतरिक अंकेक्षक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नगर पालिक निगम रायगढ़।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचा. नगरीय प्रशासन एवं विकास को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. गार्ड फाईल हेतु।

28/8

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग